राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............1136/2014............................... जिला ....जयपुर...

उनवान : मैसर्स मिलाप ट्रांसपोर्ट रोड़लाईन्स, दिल्ली

बनाम

(1) उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर

(2) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड–द्वितीय, जोन–तृतीय, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/07/2014	**एकलपीठ** **श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 30.6.2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन जोन–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के विरूद्व वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 2,36,382/– व वैट रूपये 91,983/– कुल रूपये 3,28,365/– की वसूली के स्थगन हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए लम्पसम राशि रूपये 2,00,000/– की वसूली स्थगित करते हुए शेष राशि के स्थगन से इंकार किया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री वी. के. पारीक एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि वक्त जांच परिवहनित माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज उपलब्ध थे, जो सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। सक्षम अधिकारी ने बिना किसी आधार एवं जांच के दस्तावेजों से भिन्न/अधिक माल मानते हुए, क्रेता व्यवहारी बोगस मानते हुए एवं माल राजस्थान में उतारा जाना मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्व कर व शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। साथ ही अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी करते हुए, अवशेष राशि पर स्थगन आदेश जारी नहीं किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रकरण में बकाया वसूली योग्य राशि रूपये 1,19,167/– की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया। लगातार.............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............1136/2014................................ जिला ....जयपुर...

उनवान : मैसर्स मिलाप ट्रांसपोर्ट रोड़लाईन्स, दिल्ली

बनाम

(1) उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर

(2) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड–द्वितीय, जोन–तृतीय, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/07/2014	प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने शास्ति आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से माल का भौतिक सत्यापन किये जाने पर वाहन में लदा हुआ माल दस्तावेजों से अधिक/भिन्न पाया गया। क्रेता व्यवहारियों के ना तो पूर्ण पते अंकित थे एवे ना ही टिन नं0 अंकित थे। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा भी क्रेता व्यवहारियों से सत्यापन में असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर की गई जांच में क्रेता व्यवहारी बोगस पाये गये। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा वैट व शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। इसके बावजूद अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अधिकतम राशि का स्थगन प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सुविधा का संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में नहीं होने से अपीलार्थी की अपील/स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनने एवं प्रस्तुत रेकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात प्रकरण में विवादित वसूली योग्य राशि बाबत प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा कुल वसूली योग्य राशि रूपये 3,28,365/– में से रूपये 2,00,000/– का स्थगन प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के **गुणावगुण को प्रभावित किये बिना** शेष राशि की वसूली पर रोक बाबत अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र बलहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। उक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर 07/07/14	